एस.एस. निज्जर से पहले, जे

बनाम

राजिंदर कुमार गुप्ता और अन्य उत्तरदाता

सी -डब्ल्यू.पी. नहीं। *2001* का *2412*

*13* सितंबर, *2001*

भारत का संविधान, *1950*-कला। *226*-वर्किंग पत्रकार और *O.N.P.* कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध प्रावधान अधिनियम, *1955*-एसएस। *2 (*सी), *2 (*एफ), *2 (*ईईई) और काम करने वाले पत्रकारों के लिए मजदूरी बोर्डों की *17*-रिपोर्ट और गैर-जर्नलिस्ट अखबार के कर्मचारी-एस *.17.2*-एक वकील के रूप में एक वकील के रूप में एक रिटेनरशिप शुल्क पर संवाददाता- लगभग *7* साल के बाद सेवाओं की समाप्ति-बचावाट मजदूरी बोर्ड ने पत्रकारों के लिए नियमित वेतनमान की सिफारिश की और गैर-जर्नलिस्टों का दावा किया कि मजदूरी की अस्वीकृति के बकाया बहस की अस्वीकृति लेबर कोर्ट को संदर्भित किया गया है, जो एक अंशकालिक संवाददाता एक अखबार कर्मचारी की परिभाषा के भीतर आता है "या एक 'वर्किंग जर्नलिस्ट "-एस.*2 (*एफ) यह परिभाषित करता है कि एक व्यक्ति के पास एक पत्रकार का एक प्रमुख विकास हो सकता है, यहां तक कि एक अंशकालिक आधार पर काम कर रहा है और एक अखबार कर्मचारी' जैसा कि *S.2 (*सी) में परिभाषित किया गया है। किसी भी काम करने के लिए या किसी भी अखबार की स्थापना-लेबर कोर्ट के संबंध में कोई भी काम करने के लिए नियोजित व्यक्ति को यह पता चलता है कि प्रतिवादी को 'अखबार के कर्मचारी' या 'वर्किंग जर्नलिस्ट-टर्म' रिटेनर 'के रूप में कहा जाता है। *S.2 (eee)* में परिभाषित मजदूरी के रूप में -नो अवैधता में अवैधता में अवैधता में प्रतिवादी को धारण किया गया है, जो कि सबूतों की सराहना के आधार पर तथ्य की खारिज करने के लिए उत्तरदायी होने वाले बकाया राशि की राशि का हकदार है। रिकॉर्ड-उच्च न्यायालय के चेहरे पर स्पष्ट कानून का सबूतों को फिर से लागू करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

आयोजित, कि कामकाजी पत्रकारों की धारा *2 (*सी) का एक नंगे अवलोकन और ओ.एन.पी. कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध प्रावधान अधिनियम, *1955* में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि "अखबार कर्मचारी" शब्द "कार्य पत्रकार" शब्द का पर्याय नहीं है जैसा कि धारा *2 (*एफ) में दिया गया है, लेकिन इसमें कोई भी अन्य व्यक्ति भी शामिल है जो किसी भी व्यक्ति को

करने के लिए नियोजित किया गया है किसी भी अखबार की स्थापना के संबंध में या उसके संबंध में काम करें। कल्पना के किसी भी खिंचाव से यह आयोजित नहीं किया जा सकता है कि प्रतिवादी नंबर 2 याचिकाकर्ता को दैनिक आधार पर कानूनी समाचार भेजते हुए, अखबार के संबंध में कोई काम नहीं कर रहा था। इसलिए, लेबर कोर्ट ने यह सही ढंग से माना है कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा किया गया काम "अखबार के कर्मचारी" की परिभाषा के भीतर आता है। पूर्वोक्त खोज करते हुए, लेबर कोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा उत्पादित कई दस्तावेजों पर ध्यान दिया है। एक अखबार की स्थापना के संबंध में एक अंशकालिक आधार। इसका मतलब एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रतिबंधित नहीं है जिसका पूर्णकालिक प्रिंसिपल एवोकेशन एक पत्रकार का है। पार्टियों के नेतृत्व में साक्ष्य की सराहना करने के बाद लेबर कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 "अखबार के कर्मचारी" या "वर्किंग पत्रकार" के रूप में कहा जाने वाले सभी शर्तों को संतुष्ट करता है।

---

(पैरा १३)

आगे आयोजित किया गया, कि S.2 (EEE) के एक अवलोकन से पता चलता है कि मजदूरी में सभी पारिश्रमिक शामिल हैं जो पैसे के संदर्भ में व्यक्त किए जाने में सक्षम हैं। इसमें ऐसे भत्ते शामिल हैं जिन पर एक मनी वैल्यू रखा जा सकता है। यहां तक कि इसमें घर के आवास और अन्य फ्रिंज लाभों का मूल्य भी शामिल है। इसलिए, "रिटेनर" शब्द धारा 2 (ईईई) में दिए गए "मजदूरी" के अर्थ के भीतर गिर जाएगा। ऐसा होने के नाते, प्रतिवादी नंबर 1 स्पष्ट रूप से "अखबार कर्मचारी" या "वर्किंग पत्रकार" शब्द के भीतर गिर जाएगा। इसलिए, लेबर कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को कानून या तथ्यों पर या तो दोष नहीं दिया जा सकता है।

(पैरा 17)

इसके अलावा, कि निष्कर्षों को मौखिक और साथ ही वृत्तचित्र दोनों पार्टियों के नेतृत्व में साक्ष्य के लिए मन के नियत आवेदन द्वारा आया है। यह उच्च न्यायालय का कार्य नहीं है, जबकि भारत के संविधान के लेख 226/227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए सबूतों को फिर से लागू करने के लिए अपील की अदालत द्वारा किया जा सकता है। भारत के संविधान के 226/227 लेखों के तहत, उच्च न्यायालय एक पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का अभ्यास करता है। इस अधिकार क्षेत्र को रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह एक अलग खोज को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, भले ही कोई संभव हो, श्रम न्यायालय के समक्ष जोड़े गए सबूतों पर। उच्च न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब खोज विकृत हो,

जिससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि पुरस्कार रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है। इसलिए जब तक रिकॉर्ड पर कुछ सबूत हैं, तब तक

जिसके आधार पर, लेबर कोर्ट खोज को दर्ज कर सकता था, उच्च न्यायालय इस आधार पर इसी तरह से परेशान नहीं होगा कि सबूत पर्याप्त नहीं थे।

(पैरा 18)

संजीव शर्मा, याचिकाकर्ता के लिए वकील

आर.एल. गुप्ता, प्रतिवादी नंबर 1 के लिए वकील

प्रलय

एस.एस. निजर, जे,

(1) भारत के संविधान के लेख 226/227 के तहत इस रिट याचिका ने 11 सितंबर, 2000 को पीठासीन अधिकारी औद्योगिक ट्रिब्यूनल-कम-लेबर कोर्ट, यू.टी. चंडीगढ़ (इसके बाद लेबर कोर्ट के रूप में संदर्भित)।

(२) याचिकाकर्ता, हिंद समचार लिमिटेड, पंजाब राज्य, अंबाला और दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों के समाचार पत्रों को प्रकाशित करता है। याचिकाकर्ता को कामकाजी पत्रकारों और गैर-जर्नलिस्ट अखबार के कर्मचारियों के लिए काम करने वाले पत्रकारों और गैर-जर्नलिस्ट अखबार के कर्मचारियों के लिए मजदूरी बोर्डों की रिपोर्ट में समूह ।।। समाचार पत्र स्थापना के रूप में वर्गीकृत किया गया है (इसके बाद "काम करने वाले पत्रकारों और गैर-जर्नलिस्ट कर्मचारियों के लिए" द बाचावत मजदूरी बोर्ड "के रूप में संदर्भित)। बाचाट वेज बोर्ड ने रु। के वेतनमान की सिफारिश की है। 2485-115-3060-130-3710-145-4435-160-5235। पुरस्कार की धारा 17.2 के तहत, यह प्रदान किया गया है कि एक भाग-समय संवाददाता को कॉलम के आधार पर भुगतान के अलावा पूर्णकालिक संवाददाता के बुनियादी वेतन के 1/3 से कम का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(३) प्रतिवादी नंबर १ राजिंदर कुमार गुप्ता को वर्ष १ ९, ४ में एक वकील के रूप में नामांकित किया गया था। नामांकन के लिए अपने आवेदन में, उन्होंने एक पत्रकार के रूप में काम करने के विवरण दिए थे। उन्हें एक पत्रकार के रूप में काम करने के लिए पंजाब और हरियाणा की बार काउंसिल द्वारा अनुमति दी गई थी। एक वकील के रूप में अपने नामांकन से पहले, वह जालंधर से प्रकाशित डेली प्रदीप के रूप में जाना जाने वाला एक समाचार पत्र के प्रेस रिपोर्टर के रूप में काम कर रहा था। 25 मई, 1987 को, प्रतिवादी नंबर 1 ने एक कानूनी संवाददाता के रूप में नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता को एक आवेदन दिया।

आवेदन में उन्होंने अपनी योग्यता को मा, और एलएलबी कहा था। यह भी कहा जाता है कि वह उच्च न्यायालय में पिछले 13 वर्षों से एक वकील के रूप में अभ्यास कर रहा है ।

---

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने 1977-85 से भारतीय एक्सप्रेस के कानूनी संवाददाता के रूप में काम किया है। यह आगे कहा गया है कि 1985 के बाद से, वह ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ के लिए उसी क्षमता में काम कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने 5 से अधिक वर्षों के लिए कानूनी संवाददाता के रूप में याचिकाकर्ता के लिए पहले ही काम किया था। इस आवेदन को याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया था। 2 जून, 1987 को आदेश दिनांकित, प्रतिवादी नंबर 1 को नियुक्ति पत्र में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर अंशकालिक कानूनी संवाददाता के रूप में नियुक्त किया गया था। ये इस प्रकार थे:-

"हम चंडीगढ़ में एक अंशकालिक कानूनी संवाददाता के रूप में नियुक्ति के बारे में 25 मई, 1987 को आपके आवेदन की प्राप्ति में हैं।

हम आपको 1 जून, 1987 से उच्च न्यायालय के समाचार-आइटमों के कवरेज के लिए 1 जून, 1987 से प्रभाव के साथ चंडीगढ़ में हमारे अंशकालिक कानूनी संवाददाता के रूप में नियुक्त करते हैं:-----

1. कि आप प्रतिदिन उच्च न्यायालय के समाचार आइटमों को कवर करेंगे।

2. आपके द्वारा भेजे गए सभी समाचार आइटम हमारे समूह के सभी समाचार पत्रों के लिए होंगे।

3. कि आपको रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। 1 जून, 1987 से प्रभाव के साथ 350 (रुपये तीन सौ पचास केवल) प्रति माह रिटेनशिप के रूप में।

4. कि कोई अन्य भत्ता या खर्च जो भी आपको रुपये के रिटेनशिप भत्ता को छोड़कर आपको भुगतान नहीं किया जाएगा। 350 प्रति माह।

यदि उपरोक्त शब्द आपके लिए स्वीकार्य हैं, तो कृपया हमें इस पत्र की डुप्लिकेट कॉपी लौटाएं, जो आपके द्वारा अपने रिकॉर्ड के लिए अपनी स्वीकृति के टोकन में विधिवत हस्ताक्षरित है। "

(४) प्रतिवादी नंबर १ ने १५ अक्टूबर, १ ९९ ४ तक अंशकालिक कानूनी संवाददाता के रूप में याचिकाकर्ता के साथ काम किया, जब उनकी सेवाओं को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ समाप्त कर दिया गया:-

"कृपया ध्यान दें कि यह 15 अक्टूबर, 1994 से प्रभाव के साथ कानूनी परामर्श की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए, इसलिए, आप अब हमारे साथ अनुचर नहीं हैं।"

(5) 15 अक्टूबर 1994 के उपरोक्त पत्र के जवाब में, प्रतिवादी नंबर 1 ने नवंबर 1994 के महीने में एक कानूनी नोटिस भेजा। इस नोटिस में, उन्होंने दावा किया कि उनकी सेवाएं अवैध रूप से समाप्त कर दी गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी नियुक्ति के समय पारिश्रमिक रुपये निर्धारित किया गया था। 350/- अन्य कर्मचारियों के साथ इसे उचित रूप से संशोधित करने के वादे के साथ। उनका वेतन बढ़ाकर रु. नियुक्ति के तुरंत बाद 400 रु. वे पत्रकारों एवं गैर-पत्रकारों के वेतनमान पर बछावत वेतन बोर्ड की अनुशंसा के आलोक में पुनर्निर्धारण के लिए प्रतिनिधित्व करते रहे। इसमें कहा गया है कि "अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने पुरस्कार के खिलाफ समाचार पत्र प्रबंधनों की याचिका को अंततः खारिज कर दिया है, तो आपको बछावत की विशिष्ट सिफारिश के अनुसार वर्ष 1988 से पुरस्कार के आलोक में मुझे बकाया वेतन का भुगतान करना होगा। अंशकालिक संवाददाताओं के संबंध में पैनल।" कानूनी नोटिस में कई अन्य मुद्दे उठाए गए हैं जो वर्तमान रिट याचिका के निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। आगे कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दिए गए अभ्यावेदन को नजरअंदाज कर दिया गया। प्रतिवादी नंबर 1 को भुगतान के लिए अपने दावे पर दबाव डालने से रोकने के लिए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

(6) याचिकाकर्ता ने 12 दिसंबर 1994 को नोटिस का जवाब दिया और दावे से इनकार किया। यह कहा गया था कि शब्द सेवाएँ: वेतन: कर्मचारी: वेतनमान; वेतन आदि अप्रासंगिक हैं क्योंकि प्रतिवादी नंबर 1 के साथ व्यवस्था रिटेनरशिप की थी न कि मास्टर और सर्वेंट की। आगे कहा गया कि प्रतिवादी नंबर 1 को रिटेनरशिप का भुगतान किया जा रहा था न कि वेतन और वेतन का। आगे कहा गया कि एक प्रैक्टिसिंग वकील होने के नाते, प्रतिवादी नंबर 1 किसी भी संगठन का कर्मचारी नहीं बन सकता है। कानूनी नोटिस के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर, प्रतिवादी नंबर 1 ने वर्किंग जर्नलिस्ट्स और ओ.एन.पी. की धारा 17 के तहत एक आवेदन दिया। कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 (इसके बाद इसे "श्रमिक पत्रकार अधिनियम" के रूप में संदर्भित

किया जाएगा) गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन को कार्यान्वयन के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करना होगा। रुपये की राशि का. 2,38,574.86 पी. बकाया धन के संबंध में कलेक्टर, जालंधर को। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दावे को याचिकाकर्ता द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। यह कहा गया था कि आवेदन विचारणीय नहीं है क्योंकि विवाद को केवल श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 17(2) के तहत एक संदर्भ के माध्यम से हल किया जा सकता है, जिसे औद्योगिक विवाद नियमों के नियम 10 और 13 के साथ पढ़ा जाए। नतीजतन, विवाद को एक संदर्भ पर श्रम न्यायालय में चंडीगढ़ प्रशासन, -वाइड नंबर 2030-एच (IV) -95/16840 दिनांक 7 सितंबर, 1995 द्वारा भेजा गया था ।

(7) प्रतिवादी नंबर १ ने लेबर कोर्ट के समक्ष अपने दावे को दोहराया। याचिकाकर्ता ने अपने पहले के स्टैंड को भी दोहराया। 17 जून, 1996 को, लेबर कोर्ट ने निम्नलिखित मुद्दों को फंसाया:-

"1. क्या आवेदक अनुप्रयोग के पैरा 11 में दावा की गई राशि का हकदार है?
2. क्या आवेदक काम करने वाले पत्रकार और अन्य समाचार पत्रों के कर्मचारी (सेवा की स्थिति) और विविध के तहत काम करने वाला पत्रकार नहीं है। प्रावधान अधिनियम, 1955? ओपीआर।
3. राहत। "

(8) पार्टियों को अपने संबंधित दावों के समर्थन में मौखिक और साथ ही वृत्तचित्र साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति दी गई थी। ध्यान देने के बाद, पूरे साक्ष्य और कानूनी प्रस्तुतियाँ, लेबर कोर्ट ने 11 सितंबर, 2000 को पुरस्कार दिया है, जिसे वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

(९) यह श्री शर्मा ने याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित होने वाले वकील को सीखा है कि प्रतिवादी नंबर १ रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। 5472 1 जनवरी, 1988 से 31 दिसंबर, 1989 की अवधि के लिए रिटेनर शुल्क के बकाया राशि के पूर्ण और अंतिम भुगतान के रूप में। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 "कामकाजी पत्रकारों" की परिभाषा के भीतर नहीं होता है जैसा कि धारा 2 में दिया गया है (एफ (एफ) ) कामकाजी पत्रकार अधिनियम और न ही वह "अखबार के कर्मचारियों" की परिभाषा के भीतर आते हैं जैसा कि धारा 2 (सी) के तहत दिया गया है। प्रतिवादी का प्रमुख विमानन एक वकील है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के साथ एक नामांकित अधिवक्ता होने के नाते, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, 1975 के अधीन था। ये नियम अधिवक्ताओं द्वारा भुगतान किए गए रोजगार को स्वीकार करने वाले अधिवक्ताओं पर प्रतिबंध लगाते हैं। नियम 49 के तहत, यह प्रदान किया जाता है कि एक वकील किसी भी सरकारी फर्म, निगम या चिंता का पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी नहीं होगा। इस तरह के रोजगार को लेने पर, अधिवक्ता को बार काउंसिल के लिए तथ्य को अंतरंग करना पड़ता है और तब तक, एक वकील के रूप में अभ्यास करना बंद कर देता है जब तक कि वह इस तरह के रोजगार में जारी रहता है। नियम 51 और 52 परमिट, पार्ट टाइम रोजगार बार काउंसिल के अनुमोदन के अधीन है

जिसके साथ अधिवक्ता नामांकित है। प्रतिवादी नंबर 1 को काम करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है।

केवल एक प्रमाण पत्र दिया गया है कि नामांकन के समय, प्रतिवादी नंबर 1 दैनिक प्रदीप जालंधर के साथ प्रेस रिपोर्टर के रूप में काम कर रहा था। सीखा वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि यद्यपि ईएसआई और प्रोविडेंट फंड योगदान का भुगतान प्रतिवादी नंबर 1 के संबंध में किया गया था, लेकिन भुगतान उनके द्वारा किए गए मौखिक अनुरोध पर किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने स्वेच्छा से रु। 350. यहां तक कि उस समय भी भुगतान पलेकर पुरस्कार के विपरीत था। अगर प्रतिवादी नंबर 1 याचिकाकर्ता का कर्मचारी था, तो उसे पलेकर पुरस्कार के विपरीत भुगतान नहीं किया जा सकता था। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 याचिकाकर्ता को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए, पार्ट टाइम कानूनी संवाददाता के रूप में नियुक्ति के समय, उसी का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(10) श्री आर.एल. गुप्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित हुए उत्तर प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 अधिनियम की धारा 2(सी) में दिया गया "समाचार पत्र कर्मचारी" की परिभाषा के अंतर्गत आता है। एक अखबार के कर्मचारी होने के प्रयोजनों के लिए, यह आवश्यक नहीं था कि प्रतिवादी नंबर 1 का प्रमुख विकास एक पत्रकार का था। यह शर्त केवल तभी आवश्यक होगी जब प्रतिवादी नंबर 1 का दावा एक कामकाजी पत्रकार होने पर आधारित हो। उन्होंने आगे कहा कि काम करने वाले पत्रकार अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत भी, "काम करने वाले पत्रकारों" की परिभाषा में प्रतिवादी नं जैसे व्यक्ति को शामिल किया जाएगा। 1. वह अंशकालिक आधार पर याचिकाकर्ता को दैनिक आधार पर कानूनी समाचार भेजने के लिए काम कर रहा है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी सं। 1 काम करने वाले पत्रकारों की परिभाषा में नहीं आता है। श्री गुप्ता ने प्रस्तुत किया है कि धारा 2 (सी) और (एफ) के सभी अवयवों को प्रतिवादी नं द्वारा साबित किया गया है। 1 मौखिक और साथ ही वृत्तचित्र साक्ष्य देकर। उत्तरदाता सं। 1 ने एक

वकील के रूप में कानून के अभ्यास की तुलना में पत्रकारिता के लाभ के लिए अधिक समय समर्पित किया है। पत्रकारिता से उनकी आय वकालत से उनकी आय से अधिक है। वह वर्ष 1965 से एक पत्रकार हैं और इसलिए, एक पत्रकार के रूप में एक नया प्रवेश नहीं था, जब वह याचिकाकर्ता में अंशकालिक कानूनी संवाददाता के रूप में शामिल हुए। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी सं। 1 को ट्रिब्यून अखबार द्वारा बचावत पुरस्कार के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता की देखरेख और नियंत्रण में था। इसलिए, प्रतिवादी नंबर 1 उस राहत का हकदार था जिसे लेबर कोर्ट द्वारा प्रदान किया गया है।

---

(११) मैंने पार्टियों के लिए सीखा वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए सबमिशन पर विचार किया है।

(१२) लेबर कोर्ट, साक्ष्य की सराहना करने के बाद
पार्टियों द्वारा, यह माना है कि प्रतिवादी सं। 1 पूरी तरह से है
कामकाजी पत्रकार अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत कवर किया गया। यह भी है उस प्रतिवादी सं। 1 को बार से अनुमति मिली है
एक पत्रकार के रूप में काम करने के लिए परिषद। के संबंध में तर्क
पलेकर पुरस्कार को भी इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि काम करने वाला कहा है कि वह श्री संघी द्वारा मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया था कि भुगतान रिपोर्ट के बाद बचावाट पुरस्कार के अनुसार भुगतान किया जाएगा। लेबर कोर्ट ने भी द्वारा उठाए गए प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया है। इस आशय के लिए याचिकाकर्ता कि प्रतिवादी नंबर 1 का कोई पूर्व-मौजूदा अधिकार नहीं है
दावे के अनुसार मजदूरी प्राप्त करने के लिए, और इसलिए, आवेदन किया जा रहा है औद्योगिक की धारा 33 (सी) (2) के तहत एक आवेदन की प्रकृति में विवाद अधिनियम बनाए रखने योग्य नहीं था। यह आयोजित किया गया है कि आवेदन कार्य पत्रकार अधिनियम की धारा 17 के तहत स्थानांतरित किया गया है। कार्यवाही करना। टी
आवेदन केवल जारी करने के लिए एक आवेदन नहीं है। प्रमाण पत्र या देय राशि का दावा करना। यह एक संदर्भ भी है जो यह निर्धारित करने के लिए

उपयुक्त सरकार द्वारा भेजा गया है कि क्या श्री राजिंदर कुमार गुप्ता से राशि प्राप्त करने का हकदार है 29 जनवरी को आवेदन में उनके दावे के अनुसार प्रबंधन,
1995. एप्लिकेशन में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा विवरण दिया गया विवरण देय राशि के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा इनकार नहीं किया गया है। पुरस्कार के एक अवलोकन से पता चलता है कि लेबर कोर्ट ने इसके आधारित हैं। मौखिक और साथ ही वृत्तचित्र साक्ष्य पर निष्कर्ष। शर्तें "अखबार कर्मचारी और काम करने वाले पत्रकार को "धारा 2 (सी) और में परिभाषित किया गया है ।काम करने वाले पत्रकारों के 2 (एफ) क्रमशः कार्य करते हैं। ये हो सकते हैं।
इस प्रकार पुन: प्रस्तुत:-

(c) "अखबार कर्मचारी" का अर्थ है किसी भी कामकाजी पत्रकार, और इसमें किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी अखबार की स्थापना के संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति को शामिल किया गया है;
(f) "वर्किंग जर्नलिस्ट" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसका प्रमुख एवोकेशन एक पत्रकार का है और (जो इस तरह, या तो पूरे समय या अंशकालिक, में, या एक या एक से अधिक अखबार प्रतिष्ठानों के संबंध में कार्यरत है)। और एक संपादक, एक पाठक-लेखक, समाचार संपादक शामिल हैं,

उप-संपादक, फीचर-लेखक, कॉपी-टेस्टर, रिपोर्टर, संवाददाता, कार्टूनिस्ट, समाचार फोटोग्राफर और प्रूफ-रीडर, लेकिन इसमें ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है।

(i) मुख्य रूप से एक प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में कार्यरत है, या

(ii) एक पर्यवेक्षी क्षमता में नियोजित किया जा रहा है, प्रदर्शन करता है, या तो अपने कार्यालय से जुड़े कर्तव्यों की प्रकृति से या उसमें निहित शक्तियों के कारण, मुख्य रूप से एक प्रबंधकीय प्रकृति के कार्य करता है "

(१३) धारा २ (सी) का एक नंगे विद्रोह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि "अखबार कर्मचारी" शब्द "वर्किंग जर्नलिस्ट" शब्द का पर्याय नहीं है जैसा कि धारा 2 (1) में दिया गया है, लेकिन इसमें कोई भी अन्य व्यक्ति भी शामिल है जो किसी भी अन्य व्यक्ति को भी करने के लिए नियोजित किया गया है किसी भी अखबार की स्थापना के संबंध में या उसके संबंध में काम करें। कल्पना के किसी भी खिंचाव से यह आयोजित नहीं किया जा सकता है कि प्रतिवादी नंबर 2 याचिकाकर्ता को दैनिक आधार पर कानूनी समाचार भेजते हुए, अखबार के संबंध में कोई काम नहीं कर रहा था। इसलिए, लेबर कोर्ट ने यह सही ढंग से माना है कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा किया गया काम "अखबार के कर्मचारी" की परिभाषा के भीतर आता है, जबकि पूर्वोक्त खोज करते हुए, लेबर कोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा उत्पादित कई दस्तावेजों पर ध्यान दिया है। इसी तरह, इसी तरह, इसी तरह, इसी तरह, इसी तरह, धारा 2 (एफ) के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि एक व्यक्ति के पास एक पत्रकार का एक प्रमुख विमानन हो सकता है, यहां तक कि एक अखबार की स्थापना के संबंध में अंशकालिक आधार पर काम करते हुए भी। इसका मतलब एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रतिबंधित नहीं है जिसका पूर्णकालिक प्रिंसिपल एवोकेशन एक पत्रकार का है। 2 (सी) और 2 (एफ) की परिभाषाएं बहुत चौड़ी हैं और केवल खंड (एफ) (आई) और (ii) द्वारा प्रतिबंधित की गई हैं। इन खंडों के तहत, एक व्यक्ति एक कामकाजी पत्रकार नहीं हो सकता

है, जो मुख्य रूप से एक प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता पर कार्यरत है या एक पर्यवेक्षी क्षमता में कार्यरत व्यक्ति मुख्य रूप से एक प्रबंधकीय क्षमता में कार्य कर रहा है। प्रतिवादी नंबर 1 क्लॉज (i) और (ii) में निहित इन बहिष्करण खंडों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है। पार्टियों के नेतृत्व में साक्ष्य की सराहना करने के बाद लेबर कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 "अखबार के कर्मचारी" या "काम करने वाले पत्रकार" के रूप में कहा जाने वाले सभी शर्तों को संतुष्ट करता है। यह सबूत है कि एक पत्रकार के रूप में प्रतिवादी नंबर 1 की कमाई एक वकील के रूप में उसकी कमाई से अधिक है। यह भी सबूत में आया है कि प्रतिवादी नंबर 1 दैनिक आधार पर अखबार की रिपोर्ट भेज रहा है। यह भी साक्ष्य आया है

कि प्रतिवादी नंबर 1 एक वकील के रूप में कानून के अभ्यास की तुलना में पत्रकारिता पर अधिक समय बिता रहा है। इसलिए, लेबर कोर्ट ने सही तरीके से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रतिवादी नंबर 1 का प्रमुख विमानन एक पत्रकार का है। लेबर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्क को सही तरीके से खारिज कर दिया है कि प्रतिवादी नंबर 1 को एक कर्मचारी के रूप में नहीं माना जा सकता था क्योंकि उसे पंजाब और हरियाणा की बार काउंसिल द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। एक वकील के रूप में नामांकन के लिए प्रतिवादी नंबर 1 का आवेदन लेबर कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखा गया है। यह रिकॉर्ड के पृष्ठ 99 से 103 पृष्ठों पर पाया जाना है। इस आवेदन में, कॉलम नंबर 11 के खिलाफ, प्रतिवादी नंबर 1 ने उल्लेख किया है कि वह "दैनिक प्रदीप जालंधर के साथ" एक प्रेस रिपोर्टर के रूप में काम कर रहा है "यानी पत्रकारिता में संलग्न है। पृष्ठ 3 पर मेरा उपक्रम देखें।

"आवेदक लगे हुए हैं या नहीं, या कभी किसी व्यापार या व्यवसाय में लगे हुए हैं; यदि हां, तो इस तरह के व्यापार या व्यवसाय की प्रकृति और वह स्थान जहां यह है या किया गया था।"

(१४) फॉर्म के अंत में निम्नलिखित में उपक्रम है
"एक वकील के रूप में नामांकन के लिए मेरे आवेदन के संबंध में, मैं यह बताता हूं कि एक वकील के रूप में मेरे नामांकन के बाद, इस एप्लिकेशन के पेज 1 पर आइटम नंबर 11 में उल्लिखित पत्रकारिता और रिपोर्टिंग का काम मेरे पेशेवर कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और मैं करूंगा। मेरी रिपोर्टों में एक वकील के रूप में खुद को बिल्कुल भी विज्ञापन न दें।
एसडी/-राजिंदर कुमार 24 जुलाई, 1974। "

(१५) एक्ज़िबिट डब्ल्यू १३ पंजाब की बार काउंसिल द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र है और हरियाणा ने ध्यान दिया कि जब प्रतिवादी नंबर 1 को एक वकील के रूप में नामांकित किया गया था, तो वह दैनिक प्रदीप, जालंधर के साथ प्रेस रिपोर्टर के रूप में काम कर रहा था। लेबर कोर्ट ने सही तरीके से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी तरह के सबूत द्वारा यह नहीं दिखाया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 पूरे समय के अधिवक्ता के रूप में काम कर रहा था। लेबर कोर्ट ने आगे कहा है कि केवल इसलिए कि प्रतिवादी नंबर

1 को एक वकील का लाइसेंस मिला है उसे धारण करने के लिए पर्याप्त नहीं होग

प्रिंसिपल एवोकेशन एक वकील का था और पत्रकार का नहीं। लेबर कोर्ट ने प्रोविडेंट फंड और ईएसआई की कटौती के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा जारी पत्रों के आधार पर प्रतिवादी नंबर 1 के दावे को भी स्थापित किया है। ये प्रदर्शन कर्मचारी प्रोविडेंट फंड स्कीम, 1952 के एक सदस्य के रूप में प्रतिवादी नंबर 1 के प्रवेश को दर्शाते हैं। अन्य प्रदर्शन प्रोविडेंट फंड अधिकारियों द्वारा जारी किए गए पास-बुक में किए गए प्रवेशों के संबंध में हैं। प्रतिवादी नंबर 1 ने क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों को लेबर कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखा है, जो नियोक्ता द्वारा खर्च की गई राशि का संकेत देता है। एक्ज़िबिट W4 ईएसआई कॉर्पोरेशन द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 को जारी पहचान पत्र दिखाता है। इसके बाद, प्रतिवादी नंबर 1 को बोनस का भुगतान दिखाते हुए कई दस्तावेज हैं। लेबर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्क को अस्वीकार करने के लिए सभी पूर्वोक्त दस्तावेजों पर भरोसा किया है कि प्रतिवादी नंबर 1 मजदूरी की प्राप्ति में नहीं था क्योंकि उसे निश्चित रिटेनशिप का भुगतान किया गया था रु। 350 शुरू में और रु। इसके बाद 400। सबूतों की सराहना के आधार पर लेबर कोर्ट की इस खोज को भी बरकरार रखा जाना चाहिए।

(१६) याचिकाकर्ता का तर्क कि प्रतिवादी नंबर १ को एक कर्मचारी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसे केवल एक रिटेनरशिप का भुगतान किया जा रहा था, यहां तक कि अन्यथा पूरी तरह से अस्थिर है। कामकाजी पत्रकार अधिनियम की धारा 2 (ईईई) मजदूरी को परिभाषित करती है जो इस प्रकार है:-

"2 ...

(ईईई) "मजदूरी" का अर्थ है कि पैसे के संदर्भ में व्यक्त किए जाने में सक्षम सभी पारिश्रमिक, जो कि यदि रोजगार की शर्तें, व्यक्त या निहित हैं, तो उन्हें पूरा किया गया था, एक अखबार के कर्मचारी को उसके, रोजगार या काम के संबंध में देय होना चाहिए। ऐसे रोजगार में, और इसमें शामिल हैं:-

(i) इस तरह के भत्ते (महंगाई भत्ता सहित) के रूप में अखबार कर्मचारी उस समय के लिए हकदार है:-

(ii) घर के आवास का मूल्य, या प्रकाश, पानी, चिकित्सा उपस्थिति या अन्य सौहार्द या किसी भी सेवा या किसी भी सेवा या अन्य लेखों की आपूर्ति की आपूर्ति का मूल्य:-

---

(iii) किसी भी यात्रा रियायत, लेकिन इसमें शामिल नहीं है:-

(ए) कोई बोनस:

और
(ग) उनकी सेवा की समाप्ति पर देय कोई भी ग्रेच्युटी।
स्पष्टीकरण: -इस खंड में, "मजदूरी" शब्द में नए भत्ते भी शामिल होंगे, यदि कोई हो, समय-समय पर तय किए गए किसी भी विवरण का)। "

(17) इस प्रावधान के एक अवलोकन से पता चलता है कि मजदूरी में सभी पारिश्रमिक शामिल हैं जो पैसे के संदर्भ में व्यक्त किए जाने में सक्षम हैं। इसमें ऐसे भत्ते शामिल हैं जिन पर एक मनी वैल्यू रखा जा सकता है। यहां तक कि इसमें घर के आवास और अन्य फ्रिंज लाभों का मूल्य भी शामिल है। इसलिए, "रिटेनर" शब्द धारा 2 (ईईई) में दिए गए "मजदूरी" के अर्थ के भीतर गिर जाएगा। ऐसा होने के नाते, प्रतिवादी नंबर 1 स्पष्ट रूप से "अखबार कर्मचारी" या "वर्किंग पत्रकार" शब्द के भीतर गिर जाएगा। पूर्वोक्त चर्चा से, यह स्पष्ट हो जाता है कि लेबर कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को कानून या तथ्यों पर या तो दोष नहीं दिया जा सकता है।

(18) इन निष्कर्षों को मौखिक और साथ ही डॉक्यूमेंट्री दोनों पार्टियों के नेतृत्व में साक्ष्य के लिए मन के नियत आवेदन द्वारा आया है। भारत के संविधान को फिर से लागू करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 द्वारा किए जा सकते हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपील की अदालत द्वारा किया जा सकता है क्षेत्राधिकार। इस अधिकार क्षेत्र को रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह एक अलग खोज को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, भले ही कोई संभव हो, श्रम न्यायालय के समक्ष जोड़े गए सबूतों पर। यह न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब खोज विकृत हो, जिससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि पुरस्कार रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट रूप से गलत है। इसलिए जब तक रिकॉर्ड पर कुछ सबूत हैं, जिसके आधार पर, लेबर कोर्ट ने खोज को दर्ज किया हो सकता है, यह अदालत इस आधार पर उसी को परेशान नहीं करेगी कि सबूत पर्याप्त नहीं थे।

सैयद याकोब बनाम के.एस. राधाकृष्णन और अन्य *(1)*। पूर्वोक्त मामले में मेरे इस दृष्टिकोण में मैं दृढ़ हूं और इसे के रूप में आयोजित किया गया है -

"सर्टिफिकेट की एक रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार है और इसे अभ्यास करने वाला न्यायालय एक अपीलीय अदालत के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं है। इस सीमा का अर्थ है कि तथ्य के निष्कर्ष हीन न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा पहुंचे, परिणाम के परिणाम के रूप में परिणाम के रूप में पहुंच गए। साक्ष्य की सराहना को रिट प्रोसीडिंग्स में पूछताछ के बारे में नहीं बताया जा सकता है। कानून की एक त्रुटि जो रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट है, उसे एक रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन तथ्य की त्रुटि नहीं है, हालांकि गंभीर यह प्रतीत हो सकता है। ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए तथ्य की खोज, सर्टिफिकेट की एक रिट जारी की जा सकती है यदि यह दिखाया गया है कि उक्त खोज को रिकॉर्ड करने में, ट्रिब्यूनल ने गलत तरीके से स्वीकार्य और भौतिक साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, या गलत तरीके से स्वीकार नहीं किया था, जिसने आवेग को प्रभावित किया है। इसी तरह, यदि तथ्य की खोज बिना किसी सबूत पर आधारित है, तो इसे कानून की त्रुटि के रूप में दर्ज किया जाएगा जिसे सर्टिफिकेट के रिट द्वारा सही किया जा सकता है। "

ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए तथ्य की खोज, हालांकि, इस आधार पर सर्टिफिकेटरी के रिट के लिए कार्यवाही में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि ट्रिब्यूनल से पहले जोड़े गए प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य अपर्याप्त या अपर्याप्त खोज को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त थे। सबूतों की पर्याप्तता या पर्याप्तता एक बिंदु पर नेतृत्व करती है और ट्रिब्यूनल के अनन्य क्षेत्राधिकार के भीतर उक्त खोज से खींची जाने वाली तथ्य का अनुमान, एक रिट कोर्ट के समक्ष अंक को उत्तेजित नहीं किया जा सकता है। (एस) एयर *1955* एससी *233* और एयर *1958* एससी *398* और एयर *1960* एससी *1168,* रिले। पर।"

*(*१९) इस मामले में दर्ज तथ्य के निष्कर्ष उन सबूतों की सराहना पर आधारित हैं जिनका नेतृत्व पार्टियों ने किया है। मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता पुरस्कार के तथ्य पर किसी भी त्रुटि को स्पष्ट करने में विफल रहा है।

(१०) इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है और उसी के द्वारा इसे खारिज कर दिया गया है। कोई लागत नहीं। भुगतान को आज से दो महीने के भीतर प्रतिवादी नंबर *1* को दिया जाए।

आर.एन.आर.

*(1)* एयर *1994* एससी *477*

**अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।**

**पारिंदर सिंह**

**प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी**

**जींद, हरियाणा**